उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 202/2017/1799/92-2-2017-41जॉच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 14 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद वाराणसी में मा0 प्रधानमंत्री जी के सांसद निधि के निर्माण कार्यो, विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि के कार्यो एवं क्रिटिकल गैप्स योजना के कार्यो में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य न करने, कार्यो में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मुनिजी तिवारी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-102/2017/1020/92-2-17-41जांच/2017 दिनांक 28-06-2017 द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरुद्व उ0प्र0 सकरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित की गयी। जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री मुनिजी तिवारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी सम्प्रति सम्बद्व कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 28-06-2017 के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0-29653/2017 मुनिजी तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में पारित अपने आदेश दिनांक 19-07-2017 द्वारा याची श्री मुनिजी तिवारी के विरूद्व अनुशासनिक जांच प्रचलित रहने के प्रतिबंध के साथ उन्हें निलम्बन से बहाल करने के आदेश पारित किये गये।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-07-2017 के समादर में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त याची श्री मुनिजी तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी का निलम्बन आदेश एतदद्वारा निरस्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया जाता हैं कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक जॉच यथावत प्रचलित रहेगी।

4- श्री मुनिजी तिवारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी की तैनाती के आदेश प्रथक से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-202/2017/1799(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री मुनिजी तिवारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।